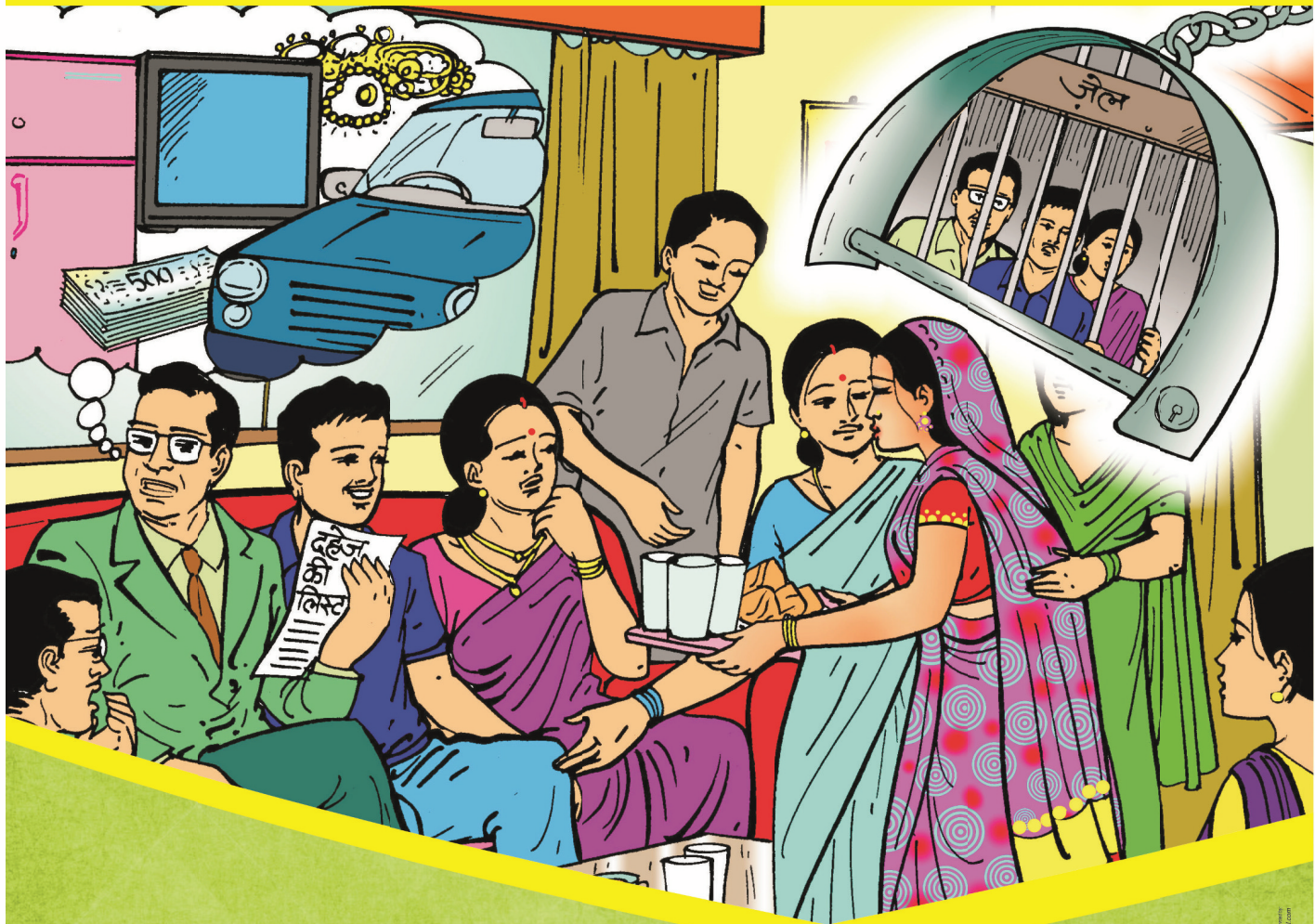


दहेज लेने या देने से पहले



सौ बार सोचें

दहेज लेना या देना दोनों अपराध है, इसके लिए कम से कम पांच वर्ष कैद या पंद्रह हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
दहेज की मांग करने पर छः मास सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। इस प्रकार की शिकायत हेतु स्थानीय थाना/जिला स्तरीय महिला हेल्पलाइन/जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें

अगर फिर से महिला
विकारी से निवारण के निवारण
में सहायता के लिए निम्न
181
से संपर्क करें।



महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी